भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2178

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

**ई-कोर्ट विजन**

**2178# श्री सुशील कुमार मोदी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-कोर्ट परियोजना के चरण 2 के अंतर्गत कुल कितनी राशि स्वीकृत और व्यय की गई, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) जनवरी- मई 2022 के दौरान विभिन्न न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निष्पादित मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन-किन उच्च न्यायालयों में कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, कितने न्यायालयों में और सप्ताह में कितने दिन लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) किन-किन उच्च न्यायालय / जिला न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले का निष्पादन हो रहा है:

(ङ) वर्चुअल कोर्ट में निष्पादन की क्या स्थिति है; और

(च) ई-कोर्ट को संस्थागत रूप देने की सरकार की क्या योजना है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**
**(श्री किरेन रीजीजू)**

**(क) :** ई-न्यायालय परियोजना के दूसरे चरण में, सरकार ने 1670 करोड़ रु. के कुल परिव्यय में से परियोजना के कार्यान्वयन में अंतर्वलित विभिन्न संगठनों को 31.03.2022 तक 1668.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।जिसमें सभी उच्च

न्यायालयों को जारी 1164.37 करोड़ की राशि सम्मिलित है। जारी की गई निधियों का अभिकरण वार और उच्च न्यायालयवार विवरण **उपाबंध-I** में संलग्न है।

**(ख) :** जनवरी-मई 2022 के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या **उपाबंध-II** में संलग्न है।

**(ग) :** गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पटना और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में न्यायालय मामलों की सीधा प्रसारण आरंभ हुआ। विवरण नीचे रखा गया है :

• झारखंड उच्च न्यायालय : झारखंड के उच्च न्यायालय में वर्तमान में दो न्यायालयों का सीधा प्रसारण शुरू। एक न्यायालय सभी कार्य दिवसों पर और दूसरा बुधवार और शुक्रवार को सीधा प्रसारण किया जाता है ।

• कर्नाटक उच्च न्यायालय: कार्य दिवसों के दौरान 7 न्यायालय हॉल की कार्यवाही प्रतिदिन सीधा प्रसारण की जाएगी और पूरी तरह से 35 न्यायालय हॉल की कार्यवाही प्रति सप्ताह सीधे प्रसारण की जाएगी।

• उड़ीसा उच्च न्यायालय: एक न्यायालय यानी मुख्य न्यायामूर्ति के न्यायालय को सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जब मुख्य न्यायामूर्ति न्यायालय का संचालन करते हैं।

• पटना उच्च न्यायालय : पटना उच्च न्यायालय की तीन पीठों की कार्यवाही का प्रत्येक सप्ताह में सभी न्यायालय कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार तक) पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है।

• मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय: जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के 08 न्यायालय, इंदौर खंडपीठ के 05 न्यायालय और ग्वालियर खंडपीठ के 03 न्यायालयों का सीधा प्रसारण किया जाता है।

• गुजरात उच्च न्यायालय: जिन न्यायालयों ने सीधे प्रसारण के लिए सहमति दी है, उन्हें सभी कार्य दिवसों के अनुसार सीधा प्रसारण किया जा रहा है।

**(घ):** निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में, जून 2022 के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके मामलों का निपटारा किया जाता है:

इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, गुवाहाटी - असम, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पटना, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड

जून 2022 के दौरान निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले आयोजित किए जा रहे हैं:

इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी - असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश,

मद्रास, मेघालय, उड़ीसा, पटना, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम , त्रिपुरा, उत्तराखंड

**(ङ) :** 04.07.2022 की स्थिति के अनुसार 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 20 वर्चुअल न्यायालय हैं। इन 20 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 1.69 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला गया है और 26 लाख से अधिक मामलों में 271 करोड़ रुपये से अधिक ऑनलाइन जुर्माना तारीख 04.07.2022 तक की वसूली की जा चुकी है ।

**(च):** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्कीम के हिस्से के रूप में, ई-न्यायालय परियोजना "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए 2007 से कार्यान्वयन के अधीन एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है। ई-समिति देश भर के न्यायालयों में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के नीति निर्माण और कार्यान्वय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के अधीन भारत सरकार द्वारा गठित एक निकाय है । ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना, देश भर के न्यायालयों के लिए न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक अखिल भारतीय परियोजन है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग द्वारा ई-न्यायालय परियोजना के माध्यम से न्यायालयों के आईसीटी सक्षमता के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निकट समन्वित प्रयास किए गए हैं।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण II के कार्यान्वयन, प्रबंधन और निगरानी के प्रयोजन से विस्तृत संस्थागत संरचना इस प्रकार है :

1. चरण II के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की संरचना :

क. ई-समिति के संरक्षक-इन-चीफ के रूप में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश

ख. माननीय न्यायाधीश प्रभारी, ई-समिति।

ग. नियमित सदस्य:

i.सदस्य (प्रक्रियाएं)

ii. सदस्य (परियोजना प्रबंधन)

iii. सदस्य (मानव संसाधन)

iv. सदस्य (प्रनली)

घ. आमंत्रित सदस्य

i. भारत के महान्यायवादी (पदेन)

ii. भारत के सॉलिसिटर जनरल (पदेन)

iii. किसी भी उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश

iv. वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत के उच्चतम न्यायालय

v. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि

vi. महासचिव, भारत के उच्चतम न्यायालय (पदेन)

vii. सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार। के (पदेन)

viii. सचिव, न्याय विभाग, भारत सरकार (पदेन)

ix. मिशन निदेशक, ई-गवर्नेंस, डीईआईटीवाई (पदेन)

x . महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) (पदेन)

xi. महानिदेशक, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सीडीएसी) (पदेन)

xii. संयुक्त सचिव (योजना वित्त II), व्यय विभाग, भारत सरकार

xiii. संयुक्त सचिव और मिशन लीडर, ई-न्यायालय एमएमपी, डीओजे

2. न्याय विभाग, भारत सरका :

क. सचिव (न्याय) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति और भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति, नीति आयोग, व्यय विभाग, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और विधि और न्याय मंत्रालय के आईएफडी के सदस्य प्रतिनिधि हैं।

ख. संयुक्त सचिव और मिशन लीडर, ई-न्यायालय एमएमपी

ग. न्याय विभाग - परियोजना निगरानी इकाई

3. उच्च न्यायालय :

क. उच्च न्यायालय कंप्यूटर समिति (एचसीसीसी)

ख. केंद्रीय परियोजना समन्वयक (सीपीसी)

ग. जिला न्यायालय कंप्यूटर समिति (डीसीसीसी)

घ. प्रत्येक न्यायालय परिसर के लिए नोडल अधिकारी

**********

**उपाबंध -1**

**ई-कोर्ट विजन के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2178 जिसका उत्तर 04/08/2022 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

**ई-न्यायालय चरण-2 के अधीन निधियों को जारी करने की अधिकरणवार प्रास्थिति**

| अभिकरण | **जारी की गई निधि ( 31.03.2022तक) (रूपए करोड़ में)** |
|---|---|
| उच्च न्यायालय | 1164.37 |
| एनआईसी/एनआईसीएसआई | 180.57 |
| बीएसएनएल | 293.68 |
| ई-समिति, एससीआई | 13.50 |
| अन्य विविध व्यय (वेतन, प्रचार आदि) | 16.31 |
| कुल | **1668.43** |

**ई-न्यायालय चरण-2 के अधीन 30.06.2022 को जारी किए गए और उपयोग किए गए वर्ष-वार और उच्च न्यायालय-वार निम्नानुसार है:-**

| क्र सं | उच्च न्यायालय | 2015-16 | | | 2016-17 | | | 2017-18 | | | 2018-19 | | | 2019-20 | | | 2020-21 | | | 2021-2022 | | | कुल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी किया (करो. ) | उपयोग (करो.) | उपयोग % | जारी किया (करो.) | उपयोग (करो.) | उपयोग % | जारी किया (करो.) | उपयोग (करो.) | उपयोग % | जारी किया (करो.) | उपयोग (करो.) | उपयोग % | जारी किया (करो.) | उपयोग (करो.) | उपयोग % | जारी किया (करो.) | उपयोग (करो.) | उपयोग % | जारी किया (करो.) | उपयोग (करो.) | उपयोग % | जारी किया (करो.) | उपयोग (करो.) | उपयोग % |
| 1 | इलाहाबाद | 31.14 | 31.14 | 100.00 | 20.88 | 20.88 | 100.00 | 20.57 | 20.27 | 98.58 | 8.07 | 7.96 | 98.62 | 15.04 | 8.91 | 59.23 | 13.79 | 5.11 | 37.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.48 | 94.27 | 86.10 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | बॉम्बे | 30.39 | 30.39 | 100.00 | 38.25 | 31.72 | 82.92 | 47.22 | 41.87 | 88.66 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 0.55 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.24 | 104.52 | 83.46 |
| 4 | कलकत्ता | 12.14 | 9.95 | 81.96 | 9.17 | 8.36 | 91.21 | 10.72 | 1.49 | 13.91 | 0.13 | 0.08 | 61.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.09 | 19.88 | 53.60 |
| 5 | छत्तीसगढ | 3.82 | 3.82 | 100.00 | 6.03 | 6.03 | 100.00 | 9.34 | 9.34 | 100.00 | 1.33 | 1.33 | 100.00 | 4.44 | 4.29 | 96.64 | 2.34 | 2.01 | 85.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.31 | 26.82 | 98.22 |
| 6 | दिल्ली | 5.87 | 5.87 | 100.00 | 5.41 | 5.16 | 95.28 | 8.97 | 8.73 | 97.29 | 3.54 | 1.15 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.63 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 21.53 | 80.35 |
| 7क | गुवाहाटी | 0.59 | 0.56 | 94.70 | 4.33 | 2.00 | 46.15 | 1.37 | 1.36 | 99.26 | 2.85 | 2.82 | 99.07 | 0.98 | 0.81 | 82.81 | 1.52 | 0.18 | 11.92 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 7.73 | 59.96 |
| 7ख | गुवाहाटी (असम) | 5.19 | 5.19 | 100.00 | 25.47 | 25.12 | 98.62 | 8.13 | 8.09 | 99.52 | 8.70 | 0.50 | 5.70 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 0.85 | 13.87 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 70.77 | 39.74 | 56.16 |
| 7ग | गुवाहाटी (मिजोरम) | 0.71 | 0.71 | 100.00 | 3.01 | 2.53 | 84.12 | 2.47 | 2.47 | 100.00 | 0.15 | 0.15 | 100.00 | 0.51 | 0.31 | 61.52 | 0.72 | 0.22 | 30.05 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 6.40 | 81.22 |
| 7घ | गुवाहाटी (नागालैंड) | 0.77 | 0.77 | 100.00 | 2.31 | 2.10 | 90.82 | 1.83 | 1.83 | 100.00 | 0.71 | 0.71 | 100.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 5.41 | 67.74 |
| 8 | गुजरात* | 11.23 | 11.23 | 100.00 | 18.32 | 15.85 | 86.53 | 29.06 | 21.48 | 73.90 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 0.07 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.82 | 48.63 | 66.78 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1.79 | 1.79 | 100.00 | 3.21 | 2.87 | 89.32 | 4.05 | 3.81 | 93.94 | 0.13 | 0.07 | 52.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.26 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | 8.79 | 78.60 |
| 10 | जम्मू-कश्मीर | 1.84 | 1.84 | 100.00 | 5.29 | 5.12 | 96.90 | 10.59 | 9.89 | 93.33 | 0.26 | 0.09 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.16 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.98 | 17.10 | 90.08 |
| 11 | झारखंड | 3.20 | 3.20 | 100.00 | 5.09 | 5.09 | 100.00 | 2.92 | 2.92 | 100.00 | 4.53 | 4.53 | 100.00 | 5.53 | 0.35 | 6.40 | 2.98 | 0.48 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.25 | 16.57 | 68.32 |
| 12 | कर्नाटक | 11.86 | 11.86 | 100.00 | 17.43 | 17.43 | 100.00 | 22.04 | 20.76 | 94.20 | 0.61 | 0.61 | 100.00 | 9.15 | 8.89 | 97.17 | 4.29 | 2.28 | 53.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | 61.84 | 94.58 |
| 13 | केरल | 5.53 | 5.53 | 100.00 | 8.32 | 8.32 | 100.00 | 14.73 | 12.87 | 87.34 | 4.61 | 4.03 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.52 | 18.31 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 37.61 | 31.27 | 83.14 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | मध्य प्रदेश | 9.73 | 9.73 | 100.00 | 23.93 | 23.93 | 100.00 | 22.51 | 22.51 | 100.00 | 0.39 | 0.39 | 100.00 | 11.21 | 4.90 | 43.72 | 6.28 | 6.16 | 98.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.05 | 67.62 | 91.32 |
| 15 | मद्रास | 10.24 | 10.24 | 99.96 | 24.62 | 24.63 | 100.02 | 25.45 | 24.62 | 96.72 | 5.11 | 3.97 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 2.32 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.15 | 65.77 | 93.75 |
| 16 | मणिपुर | 0.53 | 0.53 | 99.75 | 4.24 | 3.65 | 86.20 | 1.19 | 0.49 | 41.11 | 0.65 | 0.63 | 96.78 | 0.61 | 0.36 | 59.22 | 1.30 | 0.08 | 6.03 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 5.73 | 61.85 |
| 17 | मेघालय | 0.19 | 0.19 | 100.00 | 3.26 | 2.74 | 83.99 | 3.65 | 3.33 | 91.32 | 0.62 | 0.61 | 98.93 | 0.92 | 0.06 | 6.49 | 2.32 | 0.34 | 14.58 | 2.23 | 0.29 | 13.07 | 13.17 | 7.56 | 57.37 |
| 18 | ओडिशा | 7.57 | 7.57 | 100.00 | 7.71 | 7.71 | 100.00 | 12.70 | 12.26 | 96.52 | 1.59 | 0.42 | 26.38 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 1.56 | 46.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.41 | 29.52 | 63.61 |
| 19 | पटना | 8.04 | 8.04 | 100.00 | 26.41 | 25.26 | 95.66 | 8.72 | 4.41 | 50.63 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 2.44 | 34.49 | 5.44 | 1.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.82 | 41.83 | 74.93 |
| 20 | पंजाब और हरियाणा | 11.63 | 11.63 | 100.00 | 17.92 | 17.92 | 100.00 | 11.54 | 11.54 | 100.00 | 8.49 | 8.49 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.57 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.13 | 50.15 | 92.66 |
| 21 | राजस्थान | 9.97 | 9.97 | 100.00 | 23.04 | 22.19 | 96.30 | 25.05 | 25.01 | 99.83 | 3.01 | 2.91 | 96.49 | 1.29 | 1.29 | 100.00 | 10.58 | 3.81 | 36.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 74.56 | 65.17 | 87.40 |
| 22 | सिक्किम | 0.18 | 0.18 | 99.98 | 1.79 | 1.70 | 94.69 | 1.40 | 1.39 | 99.12 | 0.80 | 0.44 | 54.74 | 1.61 | 0.68 | 42.37 | 1.01 | 0.52 | 51.45 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 4.91 | 64.85 |
| 23 | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश** | 13.90 | 13.90 | 100.00 | 14.31 | 9.80 | 68.53 | 33.95 | 23.78 | 70.03 | 8.13 | 0.13 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.29 | 47.61 | 67.73 |
| 24 | तेलंगाना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | त्रिपुरा | 1.20 | 1.20 | 100.00 | 4.38 | 4.38 | 99.93 | 2.86 | 2.86 | 100.00 | 1.77 | 1.77 | 100.00 | 2.24 | 1.29 | 57.79 | 4.44 | 2.71 | 60.94 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | 14.22 | 79.60 |
| 26 | उत्तराखंड | 2.98 | 2.98 | 100.00 | 2.66 | 1.82 | 68.38 | 4.60 | 1.54 | 33.40 | 0.13 | 0.07 | 52.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.52 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.65 | 6.92 | 59.40 |
| | **कुल** | **202.23** | **200.00** | **98.90** | **326.79** | **304.30** | **93.12** | **347.65** | **300.92** | **86.56** | **77.71** | **43.85** | **56.43** | **88.44** | **34.59** | **39.12** | **107.74** | **33.56** | **31.14** | **13.81** | **0.29** | **2.11** | **1,164.37** | **917.51** | **78.80** |

* गुजरात उच्च न्यायालय ने 13.12 करोड़ रुपए अभ्यर्पित किए। कुल उपयोग में अभ्यर्पित निधि सम्मिलित है।

** निधि जारी की गई जिसे पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जारी किया था, और दोनों राज्यों ने उपलब्ध निधियों को क्रमशः 58:42 के अनुपात में साझा किया था।

**<u>उपाबंध-2</u>**

**ई- न्यायालय विजन के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2178 जिसका उत्तर 04/08/2022 को दिया जाना है के उत्तर में संदर्भित विवरण। ई- न्यायालय चरण 2 के अधीन उच्च न्यायालय और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के राज्य वार विवरण निम्नानुसार है:**

| क्र.सं. | उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय के लिए: उच्च न्यायालय और खंडपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर निपटाए गए मामलों की कुल संख्या (वर्चुअल सुनवाई) | जिला न्यायालय के लिए: जिला न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर निपटाए गए मामलों की कुल संख्या (वर्चुअल सुनवाई) |
|---|---|---|---|
| 1 | इलाहाबाद | 51552 | 665244 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 53536 | 684762 |
| 3 | बॉम्बे | 33899 | 31943 |
| 4 | कलकत्ता | 15032 | 37933 |
| 5 | छत्तीसगढ | 15740 | 2365 |
| 6 | दिल्ली | 50647 | 870325 |
| 7 | गुवाहाटी - अरुणाचल प्रदेश | 17 | 0 |
| 8 | गुवाहाटी - असम | 71258 | 44096 |
| 9 | गुवाहाटी - मिजोरम | 310 | 223 |
| 10 | गुवाहाटी - नागालैंड | 77 | 107 |
| 11 | गुजरात | 67159 | 41485 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 91952 | 36135 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 12522 | 112261 |
| 14 | झारखंड | 46037 | 39165 |
| 15 | कर्नाटक | 191065 | 9639 |
| 16 | केरल | 20930 | 167848 |
| 17 | मध्य प्रदेश | 64730 | 64651 |
| 18 | मद्रास | 196712 | 58824 |
| 19 | मणिपुर | 10021 | 4901 |
| 20 | मेघालय | 898 | 5247 |
| 21 | ओडिशा | 33153 | 26108 |
| 22 | पटना | 64032 | 320728 |
| 23 | पंजाब और हरियाणा | 118576 | 163991 |
| 24 | राजस्थान | 61147 | 44214 |
| 25 | सिक्किम | 0 | 348 |
| 26 | तेलंगाना | 27394 | 26632 |
| 27 | त्रिपुरा | 379 | 1354 |
| 28 | उत्तराखंड | 7230 | 5533 |
| **कुल** | | **1306005** | **3466062** |

**********